राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

एस.बी. सिविल विविध अपील संख्या 2830/2018

श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, शाखा कार्यालय ई-8, रीको औद्योगिक क्षेत्र, सीतापुरा, जयपुर अपने गठित अधिवक्त के माध्यम से।

---गैर-दावेदार-अपीलकर्ता

बनाम

1. मनोज कुमार पुत्र रामकिशोर, निवासी गोरीर, वर्तमान में निवासी वार्ड नंबर 6, गन्नी कॉलोनी जेल के सामने, टाउन, झुंझुनू, तहसिल और जिला - झुंझुनू राज.

दावेदार-प्रतिवादी

2. यतिस पुत्र जगमाल सिंह, निवासी आबूसर, तहसील और जिला. झुंझुनू राज. (मारुति सुजुकी ऑल्टो कार नंबर आरजे-18-सीए-7102 का चालक और पंजीकृत मालिक)

---गैर-दावेदार-प्रतिवादी

अपीलार्थी की ओर से : श्री वीरेंद्र अग्रवाल, अधिवक्ता।

प्रत्यार्थी की ओर से : श्री लोकेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढंढ

<u>आदेश</u>

<u>09/09/2022</u>

<u>रिपोर्ट करने योग्य</u>

अपीलकर्ता-बीमा कंपनी द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झुंझुनू, राजस्थान (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा दावा मामले संख्या 548/2013 में पारित निर्णय और पंचाट दिनांक 12.03.2018 के खिलाफ त्वरित अपील की गई है जिसके द्वारा 23.01.2013 को हुई दुर्घटना में दावेदार-प्रतिवादी-मनोज कुमार को लगी चोटों के कारण मुआवजे के रूप में 44,93,342/- रुपये की राशि प्रदान की गई थी।

विद्वत अधिकरण ने मुद्दों को तैयार करने, उनका मूल्यांकन करने के बाद और

रिकार्ड पर साक्ष्य और पक्षों के वकील सुनने के बाद, दावेदार-प्रतिवादी की दावा याचिका का फैसला किया और विभिन्न मदों के तहत दावेदार-प्रतिवादी के पक्ष में 44,93,342/- रुपये का मुआवजा दिया।

इस अपील में शामिल मुद्दा यह है कि "क्या दावेदार की आय का आकलन करने और पंचाट पारित करने के लिए अधिकरण द्वारा अप्रदर्शित दस्तावेजों की फोटोकॉपी पर विचार किया जा सकता है?"

अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के विद्वान वकील का कहना है कि प्रतिवादी-दावेदार ने 23.01.2013 को हुई एक दुर्घटना में उसे लगी चोटों के लिए मुआवजे की मांग करते हुए अधिकरण के समक्ष एक दावा याचिका प्रस्तुत की। लेकिन, न तो कोई स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया था और न ही दावेदार-प्रतिवादी द्वारा झेली गई विकलांगता को साबित करने के लिए किसी डॉक्टर से जांच कराई गई थी। अधिवक्ता का कहना है कि इस मामले में, दावेदार-प्रतिवादी का साक्ष्य 07.01.2017 को बंद कर दिया गया था और उसके बाद मामले को गैर-दावेदारों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए पोस्ट किया गया था और चूंकि गैर-दावेदारों द्वारा कोई सबूत पेश नहीं किया गया था, उनका साक्ष्य 25.03.2017 को बंद कर दिया गया था और मामला 13.04.2017 को अंतिम बहस के लिए पोस्ट किया गया था। अधिवक्ता का कहना है कि इसके बाद मामले को अंतिम बहस के लिए एक तारीख से दूसरी तारीख तक के लिए टाल दिया गया, लेकिन 17.02.2018 को अचानक, द्वारा कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी को उसकी प्रति दिए बिना, अधिकरण के रिकॉर्ड पर जमा कर दी गई और मामले को अंतिम बहस के लिए 06.03.2018 को पोस्ट किया गया था और आपेक्षित निर्णय 12.03.2018 को पारित किया गया। दावेदार-प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत फोटोकॉपी के आधार पर, अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के खिलाफ 44,93,342/रु. की अत्यधिक राशि का पंचाट पारित किया गया है। अधिवक्ता का कहना है कि यह विधि का एक सुव्यवस्थित प्रस्ताव है कि अंतिम बहस के समय किसी भी दस्तावेज की फोटोकॉपी पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि इन दस्तावेजों को कानून का पालन करते हुए उचित प्रक्रिया के माध्यम से रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया जाता है और इन दस्तावेजों को तब तक पढ़ा या उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जब तक कि इन्हें रिकार्ड पर प्रदर्श कई रोप में चिह्नित नहीं किया जाता है।

अधिवक्ता का कहना है कि इन दस्तावेजों की फोटोकॉपी पर अपीलकर्ता-बीमा कंपनी को इसकी एक प्रति प्रदान किए बिना भी विचार नहीं किया जा सकता था। अधिवक्ता का कहना है कि अपीलकर्ता-बीमा कंपनी को खंडन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने और गवाहों से जिरह करने का कोई अवसर नहीं मिला। अधिवक्ता का कहना है कि अंतिम बहस के चरण में इन दस्तावेजों पर विचार करते समय अधिकरण द्वारा एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है, इसलिए, इस न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक है। अधिवक्ता ने आगे कहा कि हालांकि रिकॉर्ड पर कोई विकलांगता प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं था और यहां तक कि एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि यह मामला 30% स्थायी विकलांगता का मामला था, तो घायल की आय के नुकसान का आकलन उसकी 30% स्थायी विकलांगता के आधार पर किया जा सकता था। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतीश चंद्र शर्मा एवं अन्य. सिविल अपील संख्या 1579/2022, दिनांक 23.02.2022 को निर्णय लिया गया, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया है। यहां ऊपर दी गई दलीलों के मद्देनजर, अधिकरण द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय रद्द किए जाने और आपास्त किए जाने योग्य है।

इसके विपरीत, प्रतिवादी-दावेदार के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ता-बीमा कंपनी के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया और कहा कि दावेदार-प्रतिवादी भारतीय सेना में सेवारत था और उपरोक्त दुर्घटना में उसे लगी चोटों के कारण, उसने 30% स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा। अधिवक्ता का कहना है कि इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शनी-124 रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। यह दस्तावेज़ मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है जिससे पता चलता है कि दावेदार-प्रतिवादी 30% स्थायी विकलांगता से पीड़ित है। अधिवक्ता का कहना है कि दावेदार-प्रतिवादी को लगी चोटों और स्थायी विकलांगता के कारण, उसे ग्रेड-ए से ग्रेड-सी कैडर में वापस कर दिया गया और उसके बाद, उसे समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी गई और जिसके कारण उसे आय का नुकसान हुआ और साथ ही भविष्य में पदोन्नति पाने का अवसर भी चला गया। अधिवक्ता का कहना है कि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ व्यक्तिगत/सेवा विवरण और भारतीय सेना द्वारा जारी डिस्चार्ज आदेश थे। इस प्रकार, इन दस्तावेजों की वास्तविकता पर संदेह नहीं किया जा सकता था और अधिकरण ने घायलों की आय के

नुकसान का आकलन करते समय इन दस्तावेजों पर सही ढंग से विचार किया है और पुरस्कार पारित करते समय इन दस्तावेजों की सराहना करने में कोई त्रुटि नहीं की है। अधिवक्ता का कहना है कि उपरोक्त दस्तावेजों की फोटोकॉपी को ट्रिब्यूनल ने सही माना है क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत कार्यवाही दावेदार के पक्ष में की जाने वाली सरल पूछताछ है। अधिवक्ता का कहना है कि इस धारा में पूछताछ सिविल प्रक्रिया संहिता के समान नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने नरेश कुमार चौधरी बनाम राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, 2016 एससीसी ऑनलाइन राज. 1757 में रिपोर्ट किया गया, के मामले पर भरोसा किया है। अधिवक्ता का कहना है कि दस्तावेजों के साथ-साथ रिकॉर्ड पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी सबूतों को देखते हुए, अधिकरण ने घायलों की आय के नुकसान का सही आकलन किया है और मुआवजे की राशि 44,93,342/- रुपये पारित की है, जिसमें इस न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना और विचार किया तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

रिकॉर्ड के अवलोकन से पता चलता है कि दावा याचिका वर्ष 2013 में अधिकरण के समक्ष दायर की गई थी, उसके बाद, दावेदार-प्रतिवादी को प्रमुख साक्ष्य के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे; अंततः दावेदार-प्रतिवादी का साक्ष्य 07.01.2017 को बंद कर दिया गया और गैर-दावेदार के साक्ष्य दर्ज करने के लिए मामले को 25.03.2017 के लिए पोस्ट किया गया।

चूंकि दावेदार-प्रतिवादी द्वारा कोई सबूत नहीं दिया गया था, इसलिए, गैर-दावेदार का साक्ष्य 25.03.2017 को बंद कर दिया गया था और बाद में मामला 13.04.2017, 25.05.2017 13.07.2017, 20.07.2017, 29.08.2017, 10.10.2017, 21.11.2017, 14.12.2017, 11.01.2018 और 01.02.2018 कों अंतिम बहस के लिए के लिए पोस्ट किया गया था। 17.02.2018 की एक सुबह, इसे रिकॉर्ड पर लेने के लिए कोई आवेदन दायर किए बिना कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा कर दी गई, और यहां तक कि गैर-दावेदार को इसकी प्रति प्रदान किए बिना भी। इसके बाद इस मामले में 06.03.2018 को अंतिम बहस सुनी गई और इन दस्तावेजों की फोटोकॉपी पर विचार करने के बाद

12.03.2018 को अंतिम फैसला पारित किया गया।

ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकरण द्वारा दावेदार को कुछ दस्तावेजों की प्रदर्श पर न रखी गई फोटोकॉपी प्रस्तुत करने की अनुमति देकर, जो उसके द्वारा कभी प्रस्तुत नहीं किए गए थे, सबूत पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर देकर एक नई प्रक्रिया अपनाई गई है। उनका साक्ष्य 07.01.2017 को बंद कर दिया गया था और उसके बाद मामले को गैर-दावेदार के साक्ष्य दर्ज करने के लिए पोस्ट किया गया था और बाद में मामले को अंतिम बहस पर सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था।

इस अवस्था पर, 17.02.2018 को, कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी, जिन्हें प्रदर्श के रूप में चिह्नित भी नहीं किया गया था, अधिकरण के रिकॉर्ड पर ले ली गईं। यहां यह उल्लेख करना उल्लेखनीय है कि इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लेने के लिए न तो कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया था और न ही इन दस्तावेजों की प्रति गैर-दावेदार को प्रदान की गई थी। इन दस्तावेज़ों को दावेदार द्वारा साबित नहीं किया गया और न ही "प्रदर्श" के रूप में चिह्नित किया गया। इन अप्रदर्शित दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और न ही भविष्य में आय के नुकसान के लिए मुआवजा देने का आधार बनाया जा सकता था। गैर-दावेदारों को अप्रदर्श दस्तावेजों की फोटोकॉपी की वास्तविकता के संबंध में दावेदार से जिरह करने का कोई अवसर नहीं मिला।

फिर भी, इन गैर-प्रदर्शित दस्तावेजों पर अधिकरण द्वारा विचार किया गया है और आपेक्षित निर्णय पारित किया गया है।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम जगदीश लखनपाल एवं अन्य, 2016 में एससीसी ऑनलाइन एचपी 296 में रिपोर्ट किया गया, के मामले में हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा संख्या 17 और 18 में समान मुद्दा इस प्रकार है:-

> "17. यह पूरी तरह से तय हो चुका है कि दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लेना ही उसका प्रमाण नहीं है। दूसरे शब्दों में, किसी दस्तावेज़ पर केवल "प्रदर्श या चिह्न" अंकित करने से उसका प्रमाण समाप्त नहीं हो जाता है, और उसे कानून के अनुसार साबित करना आवश्यक है (रोमन कैथोलिक मिशन बनाम मद्रास राज्य, एआईआर 1966 एससी 1457, मारवाड़ी कुम्हार बनाम भगवानपुरी गुरु गणेशपुरी,

एआईआर 2000 एससी 2629; आर.वी.ई. वेंकटचला गौंडर बनाम अरुमिगु विश्वेसरस्वामी और वी.पी. मंदिर, एआईआर 2003 एससी 4548; श्रीमती दयामथी बाई बनाम के.एम. शफ़ी, एआईआर 2004 एससी 4082 और भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम रामपाल सिंह बिसेन, (2010) 4 एससीसी 491 देखें)।

18. निर्विवाद रूप से, दावेदार की एकमात्र गवाही को छोड़कर, इन बिलों को जारी करने वाले किसी अन्य गवाह की जांच नहीं की गई है और इसलिए, उस पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है और यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये बिल विधि के नियमों के अनुसार साबित नहीं हुए हैं। इन अप्रदर्शित दस्तावेजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता था और फिर अतीत और वर्तमान चिकित्सा विस्तार के लिए मुआवजा देने का आधार बनाया जा सकता था।"

नरेश कुमार चौधरी (सुप्रा.) के मामले में दावेदार के अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं है क्योंकि सार्वजनिक दस्तावेज अर्थात एफ.आई.आर. आदि इस मामले में प्रस्तुत किये गये। इस मामले में दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा नहीं की गई थी, जबकि वर्तमान मामले में अप्रदर्शित दस्तावेजों की फोटोकॉपी मामले के अंत में यानी अंतिम बहस के चरण में जमा की गई थी। यह तो तय हो चुका है कि किसी दस्तावेज़ की केवल फोटोकॉपी जमा करना ही उसका प्रमाण नहीं है। दस्तावेज़ों को "प्रदर्श" के रूप में चिह्नित किया जाना आवश्यक है और इसे कानून के अनुसार साबित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार, अप्रदर्शित दस्तावेजों के आधार पर दावेदार की आय का आकलन "रद्द और आपास्त किए जाने योग्य है।"

चर्चा का निष्कर्ष यह है कि, यह न्यायालय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 12.03.2018 को दिए गए आक्षेपित निर्णय और पुरस्कार को रद्द करना और आपास्त करना उचित समझता है, जिसमें दोनों पक्षों द्वारा दिनांक 25.03.2017 तक प्रदान किए गए सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार दावा याचिका पर नए सिरे से निर्णय लेने का निर्देश दिया गया है।

पक्षकारों को 30.09.2022 को अधिकरण के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अधिकरण से यह अपेक्षा की जाती है कि अधिकरण के समक्ष दोनों पक्षों की उपस्थिति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर दावा याचिका पर नए सिरे से निर्णय लिया जाए।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, अपील का निपटारा किया जाता है। मामले का रिकार्ड तत्काल वापस भेजा जाए।

(अनूप कुमार ढंढ), न्यायमूर्ति

PRAVESH/96

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म राजभाषा सेवा संस्थान द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।